सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2003/श्रावण 1, 1925
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2003/SRAVANA 1, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

मुम्बई, 8 जुलाई, 2003

सं. टीएएमपी/3/2002-जेएनपीटी.—इस प्राधिकरण ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के दरमान में शुद्धियां लगाने के सम्बन्ध में, प्रकरण सं. टीएएमपी/3/जेएनपीटी में 4 फरवरी, 2003 को एक शुद्धि-पत्र पारित किया था। यह शुद्धि पत्र भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) के राजपत्र सं. 15 के माध्यम से 19 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि अध्याय IX संपदा संबंधी प्रभार में अनुसूची सं. 9.1 संपदा किराया के अन्तर्गत टिप्पणी सं. (3) और (4) के अधीन निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की दर में 5% वृद्धि लागू करने की तिथि व्यवस्थित नहीं है। लगाए जाने वाली शुद्धियों का विवरण नीचे दिया गया है : —

अध्याय- IX संपदा संबंधी प्रभार में अनुसूची 9.1 संपदा किराया के अन्तर्गत टिप्पणी सं. (3) और (4)

"(3) ऊपर मद सं. 1 में दी गई लाइसेंस शुल्क की दर वैसी ही है जैसी 19 मार्च, 1997 को अधिसूचित दरमान में निर्धारित की गई थी और जो वर्तमान निबंधनों और शर्तों के अनुसार, 1 जनवरी, 1998 से 10% बढ़ाई जानी है उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के बाद उतने ही प्रतिशत से बढ़ाई जाएगी एवं 1 जनवरी, 2004 से 5% की दर से बढ़ाई जाएगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उतने ही प्रतिशत से बढ़ाई जाएगी।"

"(4) ऊपर मद सं. 2 और 3 में दी गई लाइसेंस शुल्क की दरें वैसी ही हैं जैसी 19 मार्च,1997 को अधिसूचित दरमान में निर्धारित की गई थीं और जो वर्तमान निबंधनों और शर्तों के अनुसार, 1 अप्रैल, 1998 से 10% बढ़ाई जानी है और उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के बाद उतने ही प्रतिशत से बढ़ाई जाएगी एवं 1 जनवरी, 2004 से 5% की दर से बढ़ाई जाएगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष उतने ही प्रतिशत से बढ़ाई जाएगी।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा.]